

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

अंग्रेजी माध्यम

पत्रांक-

७५२-६)

/२०१३-१४

दिनांक- १-७-२०१३

सेवा में

प्रबन्धक,

रफी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल फूलपुर रोड माहुल, अहरौला,

आजमगढ़।

विषय:

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० के नियम १५ के उप नियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

मत्तेव्वय

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं, रफी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल फूलपुर रोड माहुल, अहरौला, आजमगढ़ को दिनांक-०९ जुलाई, २०१२ से दिनांक-३० जून, २०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल०केजी० से कक्षा ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- १- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- २- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००६ (उपाबन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० (उपाबन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- ३- विद्यालय कक्षा ९ में (या यथास्थिति, नसरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- ४- पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिजिप्त, की धारा ७३ की उपधारा (२), के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पूर्थक बैंक खाता रखेगा।
- ५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- ६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के संथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पौच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने उर्त्तव्यों का पालन करता है, और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


Principal
Rafi Memorial English School
Mahul, Azamgarh

क्रमशः—२/-


Manager
Rafi Memorial English School
Mahul, Azamgarh

विद्यालय अधिनियम की धारा १६ में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-

कुल निर्भित क्षेत्र

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राव्यापक-सह-कार्यालय-संह भंडागार के लिए कक्ष

वालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पैदल सुविधा

गिर-डे-मीन पंकाजे के लिए रासोईगारा

वाधारित पहुंच

अव्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।

विद्यालय को 'सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण' अधिनियम १८६० (१८६० का २१) के अधीन 'रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष गिरिंश शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

जापके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (वर्ष-२०१३/१४) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा, निदेशक/जिला, शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुभेदकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण वी कामयों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

संज्ञन उपर्युक्त के अनुसार अन्य कोई शर्त:-

भवदीय,

(सोमारु प्रधान)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आजमगढ़।

पु.०८०/

/२०१३-१४

तदूदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

संघव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

संघव, शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़, मण्डल आजमगढ़।

जिला सामाजिकत्वाणि अधिकारी, आजमगढ़।

संघव, खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(सोमारु प्रधान)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

आजमगढ़।

Principal
Rafi Memorial English School
Mahul, Azamgarh

Manager
Rafi Memorial English School
Mahul, Azamgarh